न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चितौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2014 (रा.गु.नि.)
पंजीयन दिनांक 11.03.2014

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री सद्धिक पिता कलन्दर खां निवासी विलायती खेड़ा, थाना शम्भूपुरा, जिला चित्तौड़गढ़

–गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम,1975

उपस्थिति : 1– अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार
2–श्री पूरण मेनारिया, अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक 24.10.2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल विलायती खेड़ा, थाना शम्भूपुरा, जिला चितौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का है। दिनों–दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब किया जाकर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री पूरण मेनारिया द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने नोटिस सुन–समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं जवाब प्रस्तुत कर ट्रायल चाही जिससे गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने

हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य पैरवी में श्री गोपाललाल, हाल स. उ. नि. थाना सदर, चित्तौड़गढ़, श्री ईश्वरलाल कानि. 105 हाल थाना चंदेरिया, श्री शम्भूगिरी, स. उ. नि. हाल थाना चित्तौड़गढ़ एवं श्री दर्शन सिंह उ. नि. हाल थाना निम्बाहेड़ा के बयान कराये।

गैरसायल द्वारा साक्ष्य में गवाह श्री सलीम खां पिता सिकन्दर खां मुसलमान निवासी खेड़ा बनेस्टी, जिला चित्तौड़गढ़ के बयान करवाये।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। गैरसायल के विरूद्ध वर्ष 2011 से वर्ष 2012 तक 2 प्रकरण दर्ज हुए हैः-

1-प्रकरण संख्या 15/2011 13 आरपीजीओ एक्ट
2-प्रकरण संख्या 27/2012 13 आरपीजीओ एक्ट

गैरसायल को उक्त दोनों ही प्रकरणों में सजा हो चुकी है। उक्त प्रकरण में उपस्थित गवाहान ने भी अपने बयानों में गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नही देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए जिले से निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

गैरसायल के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही हुआ है। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरण 13 आरपीजीओ के होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वयं जुर्म स्वीकार किया। वर्ष 2012 के बाद उसके विरूद्ध किसी भी धारा के अपराधिक मामले दर्ज नही हुए है। गैरसायल गरीब व्यक्ति होकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का बडी मेहनत से शान्तिपूर्वक भरण पोषण कर रहा है। मोहल्ले में कभी कोई शान्ति भंग नही की है, जिससे मोहल्ले में विपरीत प्रभाव पड़ता हो। गैरसायल के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नही कराई है। गैरसायल के माता-पिता वृद्ध होकर उनकी सेवा करने वाला उसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नही है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनताा से अवलोकन किया। गैरसालय के विरूद्ध वर्ष 2011 से 2012 के बीच कुल 02 आर.पी.जी.ओ. एक्ट के प्रकरण दर्ज हुए हैं दोनों ही प्रकरण में गैरसायल को सजा हुई है। गैरसायल के विरूद्ध उक्त दोनों प्रकरण वर्ष 2012 तक दर्ज होकर दोनों ही प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। इसके बाद गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है तथा इसके बाद गैरसायल का जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत होना एवं उनके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना भी नही पाया गया।

अतः गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार के कृत्य नहीं करने की चेतावनी देते हुए, उसके वृद्ध माता-पिता एवं परिवार की परिस्थितियों को मध्यनजर रख, सहानुभूति रखते हुए प्रार्थी द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम,1975 धारा 3 के तहत गैरसायल को गुण्डा घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत इस्तागासा खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)